

5- लिखित परीक्षा :-

प्रत्येक अभ्यर्थी को उर्दू की प्रयोगता लिख लेने के लिए लिखित परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा का अंक 100 होगा। इस परीक्षा में किसी सामयिक विषय पर निबन्ध लिखने को दिया जायेगा। इस परीक्षा में 50% या अधिक अंक देने वाले अभ्यर्थी को ताक्षात्कार हेतु चुना जायेगा।

6- आरक्षण :-

शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित तहसील के अभ्यर्थी आवेदन पत्र देते समय तहसील अधिकारी द्वारा उद्दत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

7- अन्य निर्देश :-

1. क) इस विज्ञापन के पूर्व ही सर्व संलग्न जानकारी निरक्षर कर दी गई है अतः अभ्यर्थियों को सुनः आवेदन पत्र देना होगा।

1. ख) संवीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र नर डोई दिवार नहीं दिया जायेगा।

1. ग) एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र भेजा जाये।

1. घ) लिफाफे के ऊपर लाल स्याही से "उर्दू अध्यापक केन्द्र नर निष्क्रिय हेतु" अंकित कर दिया जाये।

1. च) आवेदित अभ्यर्थी अपने तहस्त नर गैरिद, उरिद्वान, आरक्षण, जन्म तिथि, अधिवात लंबी प्रमाण पत्रों तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा नवीनतम लोटी प्रमाणित कराकर ताक्षात्कार में निर्धारित तिथि और तहसील नर उपस्थित हो।